राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 1088/2024

प्रकाश चंद्र पुत्र श्री शिव शंकर पंड्या, उम्र लगभग 55 वर्ष साल, निवासी खादगदा, पुलिस थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. रंजना पत्नी प्रकाश चंद्र पंड्या, निवासी खड़गड़ा, पुलिस थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)
3. चिराग पुत्र प्रकाश चंद पंड्या, निवासी खड़गदा, पुलिस थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान)
4. स्वाति पत्नी मुकेश जोशी, निवासी भसोर, वर्तमान में निवास खड़गदा, पुलिस थाना सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री वी.आर. चौधरी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>01/08/2024</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 05/2023 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर द्वारा पारित दिनांक 11/12/2023 का आदेश है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत संख्या 12/2022 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर द्वारा पारित दिनांक 19/04/2023 के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके तहत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिका में दिए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी - प्रतिवादी नंबर 2 महाराष्ट्र के सागवाड़ा में वैवाहिक विवाद चल रहा है। 29.04.2022 को, जब याचिकाकर्ता अपनी बहन दक्षा के घर का दरवाजा बंद करके सागवाड़ा आया, तो शाम को उसे पता चला कि आरोपी उसकी बहन के घर में अवैध रूप से घुस आया है और याचिकाकर्ता के दस्तावेजों, 48,000/- रुपये, गहने और घरेलू सामान की हेराफेरी करने की नीयत से घुस गया है। इसके आधार पर प्रकाश चंद्र और राम चंद्र के बयान दर्ज किए गए। याचिकाकर्ता की शिकायत को धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच के लिए सागवाड़ा भेजा गया। साघवाड़ा पुलिस स्टेशन ने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी रंजना के बीच वैवाहिक विवाद की रिपोर्ट की। साथ ही, रिपोर्ट में घोषित किया गया कि आरोपी के खिलाफ आरोप झूठे और निराधार थे। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 19/04/2023 के आदेश के तहत शिकायत को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसे विद्वान सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 19/04/2023 के आदेश के तहत शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद है। शिकायत में आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिए गए हैं। इसलिए आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराध का संज्ञान लेने का कोई आधार नहीं था।

5. विद्वान सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की और कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कोई सबूत नहीं है।

6. मैं नीचे के विद्वान न्यायालयों द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमत हूं। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किया है, जो किसी भी हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराता है। इसके अलावा, विद्वान सत्र न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 2016 के एक पारिवारिक समझौते में, विचाराधीन घर निजी प्रतिवादियों को उनके निवास के लिए दिया गया था। किसी भी आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।

7. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, खारिज किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।